

ई मेल

पंचायत आम निर्वाचन— 2021  
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग

बिहार

STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

संख्या—प.नि.—30—192 / 2021 2393

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)—  
सह—जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

पटना, दिनांक— 25.6.21

विषय :— EVM के संबंध में सम्पूर्ण तैयारी करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय का पत्रांक—2121 दिनांक—17.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि राज्य में पंचायत आम निर्वाचन— 2021 के सफल संचालन में EVM प्रबंधन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। विदित हो कि पंचायत आम निर्वाचन—2021 को भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त M2 EVM से कराया जाना है जिसके संबंध में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रांक—2121 दिनांक—17.04.2021 द्वारा आप सभी को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है तथा EVM की प्राप्ति (परिवहन, भण्डारण, सुरक्षा, वितरण आदि की पूर्व तैयारी) हेतु टीम के गठन का अनुरोध किया गया था, परन्तु इस संबंध में आपके स्तर से की गई कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि अब अधिकांश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त होने वाले M2 EVM की संख्या स्पष्ट हो चुकी है तथा इन EVM की प्राप्ति हेतु राज्य के जिलों को Tagging सिद्धांत कर दी गई है।

अतएव विषयांकित संबंध में आपके स्तर से निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है:—

- EVM कोषांग का गठन      → Nodal पदाधिकारी—सह—प्रभारी पदाधिकारी EVM कोषांग की नियुक्ति।
- EVM परिवहन हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उचित प्रकार के कन्टेनर, गाड़ी, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करना।
- प्राप्त होने वाले EVM की संख्या के आधार पर उनके सुरक्षित भण्डारण हेतु भण्डार गृह/वेयर हाउस की व्यवस्था करना।
- प्राप्त होने वाले EVM के वितरण, पुनर्वितरण या हस्तांतरण को त्वरित गति एवं सटीकता के साथ सुनिश्चित करने हेतु तंत्र का विकास करना।

इस संबंध में आयोग के स्तर से एक सम्पूर्ण मार्गदर्शिका M2 EVM Management Plan तैयार की गई है, जो पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। संलग्न मार्गदर्शिका (M2 EVM Management Plan) का सम्पूर्ण अध्ययन दिनांक—26.06.2021 को आयोग के साथ प्रस्तावित V.C के पूर्व कर लिया जाए, ताकि इसके अनुपालन में आने वाली कठिनाईयों एवं इसके समाधान पर V.C. के दौरान सार्थक संवाद हो सके।

इस क्रम में शीघ्रताशीघ्र EVM कोषांग का गठन करते हुए इसके Nodal पदाधिकारी—सह—प्रभारी पदाधिकारी EVM कोषांग का नाम, पदनाम, ई—मेल आदि तथा कोषांग के अधीन कार्य करने वाले उप कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी की सम्पूर्ण विवरणी तीन दिनों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

Y  
सचिव।

## पंचायत आम निर्वाचन–2021

**M2 EVM Management Plan**


पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में चुनाव M2 EVM से कराये जाने हैं। पंचायत आम निर्वाचन में एक साथ ४ पदों यथा पंचायत वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य का निर्वाचन होना है। M2 EVM सिंगल पोस्ट (एकल पद) EVM है, यानी एक M2 EVM से एक पद का चुनाव होगा। ४ पदों के लिए अलग-अलग M2 EVM का उपयोग होगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर एक साथ ४ सेट EVM (6 CU और 6 BU) लगेंगे। इस कारण लोक सभा/विधान सभा के चुनावों में EVM Management से अधिक बारिकियों को ध्यान में रखकर EVM Micro Management कर ही सफल चुनाव कर सकते हैं।

**उद्देश्य** – पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए निर्वाचन प्रक्रिया माह अगस्त 2021 से प्रारम्भ होकर माह नवम्बर 2021 तक M2 EVM से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराना।

उक्त कार्य हेतु M2 EVM Management में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु हैं –

## 1. चुनाव के सामान्य सिद्धान्त –

- (क) जिला अंतर्गत चुनाव अधिकतम दस चरणों में सम्पन्न किए जायेंगे।
- (ख) प्रत्येक चरण में मतदान के दूसरे दिन मतगणना होगी और मतगणना के पश्चात् M2 EVM का उपयोग अगले चरण के मतदान में होगा।
- (ग) जिला स्तर पर M2 EVM दो सेट, कार्मिक दो सेट में और सुरक्षा कर्मी का एक सेट में तैयार होगा।
- (घ) M2 EVM का Movement सामान्यतः निम्नवत् होगा।



- (ङ) कार्मिकों का भी Movement सामान्यतः M2 EVM Movement जैसा होगा।
- (च) सुरक्षा बलों का movement एक चरण से अगले चरण में होगा।
- (छ) M2 EVM मतगणना के बाद दूसरे प्रखण्ड में स्थानांतरण और उस प्रखण्ड में Cand. Set करने में समय लगेगा। इसलिए प्रथम चरण का M2 EVM तृतीय चरण में और द्वितीय चरण का चतुर्थ चरण में स्थानांतरित किया जाना होगा।

ऐसे दो चरणों के बीच 15 दिनों का अंतराल रखा गया है, जिसमें तीन दिन मतगणना, एक दिन परिवहन में और सात दिन Cand Set के लिए रखा गया है।

## 2. चुनाव के लिए चरण का निर्धारण –

मतदान के लिए चरण का निर्धारण M2 EVM, कार्मिकों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर ही निर्धारित किया जाना है।

- ✓ जिलावार M2 EVM कार्मिकों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता/उपलब्धता का आंकलन कर प्रत्येक जिला में अधिकतम दस चरण में चुनाव कराये जायेंगे।
- ✓ जिलों से नौ चरण में चुनाव कराये जाने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रतिवेदन में चरणवार मतदान के लिए प्रखण्डों को चिन्हित किया गया है। चूँकि अब दस चरणों में चुनाव सम्पन्न कराये जाने हैं तो जिला से प्राप्त प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए दस चरण का कार्यक्रम बनाकर M2 EVM, कार्मिक और बलों का आंकलन किया गया है।
- ✓ उक्त कार्य हेतु आयोग स्तर पर बनाए गए दस चरण के लिए प्रखण्डों की सहबद्धता सांकेतिक रूप में तैयार की गयी है, जिसकी प्रति अनुलग्नक –1 के रूप में संलग्न है।
- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग स्तर से दस चरणों के लिए संहबद्ध प्रखण्डों/मतदान क्षेत्रों की अपने स्तर से जाँच कर ली जाए एवं चुनाव के सफल व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दस चरणों के लिए प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाए।
- ✓ प्रखण्डों को चरणबद्ध करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना है—
  - प्रखण्ड की भौगोलिक स्थिति ताकि मतदान पश्चात EVM का स्थानान्तरण में कम से कम दूरी तय करनी पड़े।
  - जिला स्तर पर कुल मतदान केन्द्रों की संख्या और दस चरण में मतदान के लिए औसत मतदान केन्द्रों की संख्या निकाल कर उसी के आस पास (निकटतम) मतदान केन्द्रों की संख्या वाले प्रखण्डों को सम्बद्ध किया जा सकता है, जिससे लगभग सभी चरणों में एक जैसी व्यवस्था होगी।
  - M2 EVM का स्थानान्तरण प्रथम चरण से तृतीय चरण, तृतीय चरण से पंचम, पंचम चरण से सप्तम् और सप्तम् चरण से नवम् चरण होगा। इसलिए इन चरणों में ऐसे प्रखण्ड को संबंध किए जाए जिसमें मतदान केन्द्रों की संख्या लगभग समतुल्य हो। उसी प्रकार दूसरे, चौथे, छठे, आँठवें, और दशम् चरण को संबद्ध करना होगा।
  - वर्तमान में वर्षा/बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए प्रखण्डों को सम्बद्ध किया जाए। वर्षा/बाढ़ ग्रस्त प्रखण्डों में चुनाव यथासम्भव चौथे चरण के बाद रखा जाना चाहिए।

## 3. M2 EVM की उपलब्धता –

- ✓ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा EVM के भण्डारण, transport, FLC के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चूँकि M2 EVM ECI द्वारा प्रदत्त है, अतः ECI के guidelines का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन के

अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के इस संबंध में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन जिला द्वारा किया जाता है।

- ✓ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को M2 EVM का ऋण पर आवंटन इस शर्त के साथ किया गया है कि M2 EVM का भंडारण, Transport एवं अन्य व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल/SOP के अधीन हो। अतएव सभी प्रोटोकॉल / SOP का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।
- ✓ इस संबंध में M2 EVM के आवंटन के लिए निर्गत पत्र के साथ निर्देश भी संलग्न किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग का पंत्राक 51/8/4/Loaning/2021/EVM (P&T) दिनांक 16. 04.2021 में EVM भंडारण, Transport एवं अन्य व्यवस्था का निर्देश है जो संलग्न है।  
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित संख्या में M2 EVM आवंटित किए गए हैं –

	<b>CU</b>	<b>BU</b>
<b>Total</b>	<b>445997</b>	<b>488196</b>

- ✓ उक्त M2 EVM भारत के राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (CEO) के नियंत्रण में उस राज्य के जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की अभिरक्षा में है।
- ✓ इसके अतिरिक्त EVM निर्माता कम्पनी BEL बंगलोर और ECIL, हैदराबाद से भी M2 EVM आवंटित किए गए हैं जो क्रमशः बंगलोर और हैदराबाद में हैं।
- ✓ भारत निर्वाचन आयोग के उक्त आवंटन के विरुद्ध वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और EVM निर्माता कम्पनी से उपलब्धता के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार M2 EVM की उपलब्धता निम्नलिखित होगी।

	<b>CU</b>	<b>BU</b>
ECIL	106887	135088
BEL	109355	76285
<b>Total</b>	<b>216242</b>	<b>211373</b>

- ✓ इसके अतिरिक्त कई राज्यों से कुछ तकनीकी कारणों से या अन्य कारणों से M2 EVM की उपलब्धता संसूचित नहीं की गई है। उन कारणों को दूर करने की कार्रवाई चल रही हैं फलस्वरूप वर्तमान M2 EVM की उपलब्धता में बढ़ोतरी होने की संभावना है।  
वर्तमान में M2 EVM की उपलब्धता **CU 216242 BU 211373** के आधार पर दस चरणों में निर्वाचन करना संभव है।

#### 4. जिलावार M2 EVM की आवश्यकता का आंकलन—

- ✓ पंचायत आम निर्वाचन 2021 का निर्वाचन कार्यक्रम दस चरणों में सम्पन्न कराया जाना है। जिला को इतनी संख्या में M2 EVM का आवंटन किया जाए कि जिला को आवंटित

M2 EVM का movement जिला के अंतर्गत ही हो और दस चरणों का चुनाव सम्पन्न हो सकें।

- ✓ इसके लिए जिला के दस चरणों में से दो अधिकतम मतदान केन्द्रों की संख्या को जोड़कर उसके आधार पर M2 EVM का आंकलन किया गया है, ताकि किसी भी चरण में M2 EVM की कमी न हो।
- ✓ जिलावार M2 EVM के आकलन में CU 14% और BU 5% रिजर्व रखा गया है। इसके अतिरिक्त 16 से अधिक अभ्यर्थी होने की दशा के लिए मुखिया पद का 50% EVM के साथ प्रशिक्षण के लिए 5% EVM की गणना की गयी है।
- ✓ उक्त सिद्धान्त पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलावार M2 EVM की आवश्यकता के आंकलन संबंधित प्रतिवेदन अनुलग्नक – 2 संलग्न है।
- ✓ उक्त M2 EVM के आवश्यकता के आंकलन की जिला स्तर से जाँच कर ली जाए यदि कोई संशोधन की आवश्यकता हो या कोई त्रुटि परिलक्षित हो तो इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाए।

#### 5. M2 EVM के लिए कोषांग का गठन—

- (क) राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर कोषांग — राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर M2 EVM के कार्यों के समन्वयन एवं नियंत्रण हेतु कोषांग का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी/सहायक सम्मिलित हैं —

क्रमांक	पदाधिकारी/सहायक का नाम	मोबाइल संख्या

- (ख) जिला स्तर पर कोषांग— M2 EVM के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारी के अधीन EVM कोषांग का गठन किया जाना है। इस कोषांग में अन्य पदाधिकारी/सहायक को भी नामित किया जाए।

लोक सभा/ विधान सभा आम चुनाव में EVM कोषांग में कार्य किए पदाधिकारियों/सहायकों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए।

कोषांग के वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम और मोबाइल संख्या राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाए।

#### 6. जिला स्तर पर M2 EVM का भंडारण —

- ✓ भारत निर्वाचन आयोग का पंत्रांक 51/8/4/Loaning/2021/EVM (P&T) दिनांक 16.04.2021 द्वारा आवंटित EVM के साथ Terms and Condition for loaning के संबंध में निर्देश अंकित किया है।
- ✓ उक्त पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 51/8/7//2017/EMS दिनांक 30.08.2017, पत्रांक 51/8/VVPAT/2015 EMS दिनांक 03.05.2010 EVM के भंडारण (Storage)

और सुरक्षा प्रबंध (safety arrangement) से संबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्रों में दिए गए निर्देशों के आलोक में ही जिला स्तर पर M2 EVM के भंडारण एवं सुरक्षा व्यवस्था की जानी है।

- ✓ भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 51/8/4//2010/EMS दिनांक 17 सितम्बर 2010 में स्पष्ट निर्देश है कि "SEC-EVMs and ECI-EVMs shall not be mixed together at any level." उक्त निर्देश के आलोक में जिला स्तर पर SEC-EVM के भंडारण की व्यवस्था अलग करनी है, किन्तु भंडारण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा—निर्देशों का अनुपालन किया जाना है।
- ✓ भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्रों में दिए गए निर्देश अति महत्वपूर्ण है लेकिन आयोग से सभी निर्देशों का अनुपालन किया जाना है।
- ✓ जिला स्तर पर M2 EVM की उपलब्धता की संख्या के आधार पर EVM भंडारण हेतु Separate पक्का भवन (जिसे warehouse कहा जा सकता है) का चयन किया जाना है।
- ✓ उक्त warehouse में ही M2 EVM का भंडारण किया जाएगा। कोई भी EVM warehouse के बाहर नहीं रहेगा।
- ✓ Warehouse में केवल एक ही Entry Point (दरवाजा) होगा। यदि चयनित भवन (warehouse) में एक से अधिक Entry Point (दरवाजा) हैं तो उसे ईट—कंक्रीट से सील कराना है।
- ✓ Warehouse में यदि खिड़कियाँ (Windows) हैं तो उसे भी ईट—कंक्रीट से सील कराना है।
- ✓ Warehouse के एकल दरवाजे पर double lock system रहेगा जिसकी चाभी दो अलग—अलग पदाधिकारियों के पास रहेगी जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) नामित करें। इसमें से एक पदाधिकारी उपसमाहर्ता स्तर से अन्यून नहीं होना है।
- ✓ Warehouse मुख्य रूप से dampness, pests, rodents etc से मुक्त होना है।
- ✓ Warehouse में proper fire fighting arrangement होना है।
- ✓ Warehouse बाढ़/जल जमाव मुक्त क्षेत्र में होना है।
- ✓ Safety alarm system/CCTV निश्चित रूप से लगना है।
- ✓ EVM को सुरक्षित रूप में रखना है।
- ✓ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी 24 x 7 लगाए जाने हैं।
- ✓ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा Security निम्नवत् निर्धारित की गयी है –
  - Non poll (Post EP to FLC) - Minimum 1/2 Section
  - FLC to polling-Minimum 1 Section
  - Poll to EP- Minimum 1 Platon

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला में M2 EVM की संख्यात्मकता के आधार पर उसके भण्डारण हेतु चयनित भवन का नाम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाए।

7. जिला को अन्य राज्यों के जिला से M2 EVM लाने के लिए संबद्ध करना—
- ✓ वर्तमान में अन्य राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नियंत्रण में तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की अभिरक्षा में M2 EVM भंडारण है।
  - ✓ इसके अतिरिक्त दोनों निर्माता कम्पनी BEL और ECIL क्रमशः बगलोर और हैदराबाद में M2 EVM भंडारित है।
  - ✓ राज्यों के जिला जहाँ से CU और BU लाना है उन जिलों में समान संख्या में CU और BU उपलब्ध नहीं है और एक ही जिला में दोनों कम्पनी के CU और BU भी उपलब्ध हैं।
  - ✓ जिला को संबद्ध करने में यह ध्यान रखा गया है कि उस जिला को पूर्ण रूप से एक निर्माता कम्पनी BEL या ECIL का ही CU और BU चुनाव के लिए उपलब्ध कराया जाए।
  - ✓ बिहार राज्य के जिलों को सम्पूर्ण रूप से ECIL या BEL के EVM से अच्छादित करने के बाद कुछ जिलों को ECIL और BEL के CU और BU को mix कर आवंटित करने पर उनके M2 EVM की आवश्यकता की पूर्ति की गयी है।
  - ✓ जिलों को संबद्ध करते समय यह भी ध्यान रखा गया है कि बिहार राज्य का Acceptor District अन्य राज्य के Donor District से पूर्ण M2 EVM प्राप्त कर लें भले ही उनको उससे कम या अधिक M2 EVM की आवश्यकता है।
  - ✓ इस व्यवस्था के कारण अन्य राज्यों से EVM प्राप्त होने के बाद आवश्यकता अनुसार बिहार राज्य के अंतर्गत M2 EVM का inter district स्थानांतरण किया जाना है।
  - ✓ राज्य निर्वाचन आयोग स्तर से जिलों (Acceptor District) और अन्य राज्य के जिलों (Donor District) की संबंधता सूची अनुलग्नक –3 के रूप में सलान है।  
उक्त सूची का जिलास्तर पर अध्ययन कर ली जाए यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाए।
8. राज्यों के जिलों (Donor District) के नोडल ऑफिसर का नाम, मोबाइल संख्या प्राप्त करना—
- ✓ अधिकाश Donor District से Nodal पदाधिकारी के नाम और मोबाइल संख्या प्राप्त हो गए हैं।
  - ✓ राज्य निर्वाचन आयोग, दिल्ली, त्रिपुरा, केरल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पुण्डुचेरी, राजस्थान को नोडल ऑफिसर के नाम एवं मोबाइल संख्या भेजने हेतु पत्र भेजा गया है।  
इसकी अद्यतन स्थिति के अनुसार कार्य करना है।
9. M2 EVM लाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था—
- भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 51/8/7/2017-EMS दिनांक 30 अगस्त 2017 द्वारा EVM Transportation के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश का M2 EVM Transportation में अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए अति महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् है किन्तु आयोग के इस संबंध में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना है—

- ✓ Containerized trucks or sealed trucks on which proper locking arrangements can be made shall only be used for traonsporting EVMs. these could be locked and sealed with proper seal.
- ✓ All trucks transporting EVM shall be sealed with Lock and proper seal.
- ✓ Vehicles with GPS tracking only should be used for movement of EVM.
- ✓ A Nodel officer at District level shall be appointed for constant cordination for smooth transportation of EVMs.

लोक सभा / विधान सभा के अवसर पर EVM लाने हेतु जिला स्तर पर टीम गठित की गयी होगी उसी के अनुरूप इस कार्य हेतु EVM की संख्या के आधार पर टीम गठित की जाए।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा EVMs Trasnport के लिए जो SOP निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुरूप व्यवस्था करनी है। यह कार्य 15 जुलाई 2021 तक करना है।

10. EVM लाने की Monitoring की व्यवस्था — Mobile App based Monitoring

11. EVM के FLC की व्यवस्था—

(क) FLC के लिए स्थान का चयन

- ✓ बिहार राज्य में EVM लाने के बाद उसे यथा स्थान भंडारित किया जाना है।
- ✓ उक्त EVM का First Level Checking (FLC) किया जाना है।
- ✓ EVM के FLC के लिए स्थान का चयन कर राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित करना है।
- ✓ भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक—51/8/16/4/2010-EMS दिनांक 04.08.2010 द्वारा EVM के FLC के संबंध में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना है।
- ✓ उक्त पत्र की कण्डिका 3,4 एवं 5 EVM FLC के लिए महत्वपूर्ण है। पंचायत आम निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं है, इसलिए इसमें किसी दल को सूचित नहीं करना है।

(ख) BEL और ECIL के इंजीनियर की आवश्यकता—

- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर M2 EVM के FLC कार्य दिनांक 11.07.2021 से 31.07.2021 तक पूर्ण करने हेतु BEL और ECIL के इंजीनियर की संख्या का आंकलन कर BEL और ECIL को पत्र भेजना और वार्ता करना है।
- ✓ BEL और ECIL के इंजीनियरों के नाम, मोबाइल संख्या प्राप्त होने पर इसे जिलों से संबंद्ध कर जिलों को सूचित करना है।

- ✓ जिला स्तर पर कोविड-19 के कारण इंजीनियरों के आवासन इत्यादि की व्यवस्था इस प्रकार से कराना है कि EVM FLC का कार्य समय पूर्ण हो सकें।

**(ग) Power Pack की आवश्यकता—**

- ✓ EVM FLC के लिए BEL और ECIL को Power pack के लिए आवश्यकता अनुसार क्रय करने हेतु ECIL और BEL को आदेश देना एवं Power Pack प्राप्त करना।

Power Pack की प्राप्ति निश्चित रूप से 05.07.2021 तक हो जानी है ताकि जिलों को Power Pack वितरित किया जा सके।

वितरण चार्ट के अनुसार जिला राज्य निर्वाचन आयोग, पटना से Power pack (बैट्री) दिनांक 10.07.2021 के पूर्व प्राप्त करेंगे, ताकि 16.07.2021 से FLC का कार्य प्रारम्भ हो सकें।

**12. EVM FLC के कार्यों का Monitoring — Mobile App based Monitoring**

**13. मतपत्र की व्यवस्था—** चूँकि चुनाव M2 EVM से सम्पन्न कराये जाने हैं, इसलिए मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर ही होगा।

इसके लिए पहले से ही प्रेस का चयन किया जाना है, जहाँ मतपत्र सुरक्षित और शुद्ध रूप से मुद्रित हो सकें।

प्रतीकों के soft copy और ECIL और BEL के Ballot Unit के specification के अनुसार मतपत्र मुद्रित होंगे।

ECIL और BEL के Ballot Paper का specification भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्वाची पुस्तिका में वर्णित है।

**14. जिला से प्रथम और द्वितीय चरण के प्रखण्ड स्तर पर M2 EVM स्थानांतरण—**

जिला स्तर पर EVM के FLC के बाद भंडारित EVM को संबंधित प्रखण्ड में EVM का स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है।

**15. पहले और दुसरे चरण के लिए EVM में Cand. set कराना—**

- ✓ प्रत्येक चरण में अभ्यर्थिता वापसी के लिए निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्रपत्र-9 तैयार किया जाना है, जिसके आधार पर मतपत्र मुद्रित होंगे।
- ✓ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के नियंत्रण में संबंधित प्रखण्ड के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा EVM में Cand set. किया जाना है। उक्त कार्य प्रखण्ड स्तर पर सम्पन्न होगा।
- ✓ प्रखण्ड स्तर पर EVMs को सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था करनी होगी।

- ✓ प्रखण्ड स्तर पर ही उस निर्माता कम्पनी के इंजीनियर के साथ अन्य इंजीनियर, कर्मी, लेबर की व्यवस्था करनी होगी ताकि ससमय Cand. Set की प्रक्रिया पूरी हो सकें।
- ✓ विधान सभा / लोक सभा में एक ही प्रकार का मतपत्र पूरे निर्वाचन क्षेत्र के EVM में लगाकर Cand Set किया जाता है। भले ही निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है किन्तु EVM एक ही प्रकार के तैयार किए जाते हैं। इसमें mix होने का डर नहीं रहता है। पंचायत आम निर्वाचन में रिथिति भिन्न है।
- ✓ पंचायत आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अधिक है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग—अलग EVM Cand Set करना है। इसमें EVM Cand Set Mixed होने की संभावना बनी रहेगी।
- ✓ इसको दुर करने के लिए संबंधित EVM के CU और BU को sticker पर पदनाम चिपका कर एक दुसरे से भिन्न करना होगा। CU और BU के बक्सा पर भी पदनाम का Sticker चिपकाना है।
- ✓ जिला स्तर पर विधान सभा निर्वाचन से भिन्न Cand. Set कार्यक्रम का भी micro monitoring करना होगा।
- ✓ जिला स्तर पर विधान सभा निर्वाचन से भिन्न Cand. Set में अधिक प्रशिक्षित कर्मी लगाने होंगे। ताकि अधिकतम एक सप्ताह में यह कार्य समाप्त किया जा सकें।

**16. मतदान दल में कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी—**

**सामान्यतः** एक EVM से मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया संचालन में एक पीठासीन पदाधिकारी और तीन मदतान पदाधिकारियों का दल गठित कर नियुक्त किया जाता है।

चूँकि एक मतदान केन्द्र पर 6 CU और 6 BU को संचालित करना है इसलिए अतिरिक्त दो अन्य पदाधिकारी जो मतदान पदाधिकारी द्वितीय या तृतीय स्तर के हो उपलब्धता के आधार पर लगाने होंगे। मतदान पदाधिकारी 3 के पास दो पद के CU का नियंत्रण, मतदान पदाधिकारी चार के पास दो पद के CU का नियंत्रण और मतदान पदाधिकारी पाँच के पास दो अन्य पद के CU का नियंत्रण रहेगा।

इस प्रकार कार्मिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।

**17. PCCP की संख्या में बढ़ोतरी —**

एक मतदान केन्द्र पर 6 EVM का उपयोग होना है इसलिए अधिकतम दो मतदान केन्द्र पर एक PCCP की प्रतिनियुक्ति करनी होगी। PCCP को 12 EVM (12 CU और 12 BU) प्रखण्ड से मतदान केन्द्र पर ले जाने और मतदान की समाप्ति के बाद मतगणना केन्द्र तक लाने हेतु अच्छी और spacious वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

**18. मतदान के दिन EVM खराब होने पर replacement की व्यवस्था—**

विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है और एक ही प्रकार के EVM का उपयोग होता है इसलिए Cand. Set किया हुआ EVM रिजर्व के रूप में रहता है और EVM खराब होने की सूचना मिलने पर Sector मजिस्ट्रेट उपलब्ध सेट EVM का replacement करता है।

पंचायत आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या अधिक है एवं सभी वार्ड एक अद्वितीय निर्वाचन क्षेत्र है। और सभी के मतपत्र अलग—अलग होंगे। इनका EVM पहले से Cand. Set कर नहीं रखा जा सकता है।

प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक Sector मजिस्ट्रेट होगा जिसके पास रिजर्व EVM रहेगा साथ ही उस पंचायत के सभी पदों के लिए मुद्रित मतपत्र की प्रतियाँ भी उपलब्ध रहेगी।

Sector मजिस्ट्रेट के साथ एक BEL/ECIL के इंजीनियर के अतिरिक्त एक कर्मी जो Cand. Set करने में निपुण हो उसको रखना होगा।

EVM के खराब होने की सूचना मिलने पर Sector मजिस्ट्रेट EVM और मतपत्र के साथ मतदान केन्द्र पर पहुँचेंगे। मतदान केन्द्र पर ही अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के समक्ष CU में Cand Set या BU को बदलेंगे।

उक्त कार्य के लिए अधिक संख्या में Cand. Set करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति करनी होगी।

#### 19. मतदान प्रक्रिया—

मतदान केन्द्र पर 6 EVM से मतदान प्रक्रिया के संबंध में अलग से निर्देश दिए जाएंगे।

#### 20. मतगणना स्थल एवं ब्रजगृह का चयन—

- ✓ सामान्यतः प्रखण्ड/अनुमतडल स्तर पर मतगणना कराये जाते हैं।
- ✓ इसके लिए specious स्थल/भवन यथा स्कूल या अन्य स्थानों का चयन करना होगा।
- ✓ प्रत्येक पद के लिए अलग—अलग ब्रजगृह बनाना चाहिए ताकि एक पद का CU दुसरे पद के CU के साथ mixed न हो।
- ✓ मतगणना के लिए भी अलग—अलग पद के लिए अलग हॉल की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ✓ यह ध्यान रखना है कि मतगणना समय से पूर्ण हो सके, ताकि उस CU के डाटा को विलोपित कर उस EVM को दुसरे प्रखण्ड में चुनाव हेतु भेजा जा सके।
- ✓ मतगणना प्रक्रिया के विषय में अलग से निर्देश निर्गत किया जायेगा।

#### 21. मतगणना के पश्चात् EVM का अन्य प्रखण्ड में स्थानान्तरण—

निर्धारित समय में मतगणना के समाप्ति के बाद CU से डाटा विलोपित कर EVM का स्थानान्तरण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया जाना है।

#### 22. Next प्रखण्ड की व्यवस्था—

इस प्रखण्ड में भी EVM भंडारण की व्यवस्था होगी। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के बाद प्रपत्र—9 के अनुसार मुद्रित मतपत्र के साथ CU में Cand. Set करना है।

इस प्रकार Cand Set करने वाले प्रशिक्षित कर्मी की अधिक संख्या में आवश्यकता होगी।

#### 23. अंतिम चरण के चुनाव के बाद जिला में EVM संग्रहित करना—

अंतिम चरण में M2 EVM का इस्तेमाल किए जाने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए जिला स्तर पर EVM का भंडारण करना है।

अनुलग्नक - 1

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी

क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण	
1	बक्सर 2238 / 23. 12.2020 1924	बक्सर 46	चौसाडा 125	बक्सर 175	इटाडी 221	झुमराँव 169	नावानगर 234	ब्रह्मपुर 258	राजपुर 267	सिमरी 303		
		चौगाई 70				चक्की 56						
		1924	116	125	175	221	225	234	258	267	303	
		भोजपुर (आरा) 1910 / 23. 12.2020 3174	तरारी 257	आरा 274	जगदीशपुर 278	पीरो 282	शाहपुर 297	चरपोखरी 144	बड़हरा 326	उदवंतनगर 220	कोईलवर 233	बिहियाँ 200
2	भोजपुर (आरा) 1910 / 23. 12.2020 3174							सहार 181		गड़हनी 121	संदेश 159	अगिऊँव 202
		3174	257	274	278	282	297	325	326	341	392	402
		कैमूर 1835 / 23. 12.2020 1842	अधौरा 70	नुआंव 132	रामगढ़ 141	चाँद 167	दुर्गावती 174	कुदरा 176	चैनपुर 213	रामपुर 115	मोहनिया 237	भभुआ 307
	1842	1842	70	132	141		167	174	176	213	225	237
4	रोहतास 1738 / 26. 12.2020 3180	दावथ 132	रोहतास 98	काराकाट 270	सासाराम 135	बिक्रमगं ज 167	नोखा 184	शिवसागर 211	कोचस 177	दिनारा 305	करगहर 286	
		संझौली 84	नौहट्टा 123		तिलौथू 148	अकाढ़ीग ला 167	नासरीगंज 165	चेनारी 146	डिहरी 197	सूर्यपूरा 82	राजपुर 103	
	3180	3180	216	221	270	283	334	349	357	374	387	389

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

	क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
5	पटना 2843 / 21. 12.2020 4244	मसौँडी 270	धनरूआ 285	पुनपुन 167	नौबतपुर 248	मनेर 253	पालीगंज 304	फतुहाँ 184	पण्डारक 215	बिहटा 288	बरिज्यारपुर 220	
				सम्पत्तचक्र 19	फुलवारीशरी फ 207	दानापुर 204	दुल्हिन बाजार 175	दनियावाँ 102	घोसवरी 107	बिक्रम 218	बाढ़ 200	
				पटना सदर 101				खुसरूपुर 101	मोकामा 181		बेलछी 90	
								अथमलगोला 105				
		4244	270	285	287	455	457	479	492	503	506	510
6	नालन्दा 3071	हरनौत 207	सिलाव 152	इसलामपुर 179	एकंगरसराय 219	रहुई 196	हिलसा 205	बिहारशरी फ 226	चण्डी 197	नुरसराय 235	अस्थावॉ 235	
		कतरीसराय 67	वेन 123	राजगीर 114	परबलपुर 77	बिन्द 100	करायपरसुराय 102	गिरियक 89	नगरनौसा 130	थरथरी 101	सरमेरा 117	
		3071	274	275	293	296	296	307	315	327	336	352
मात्रा			बाराचट्टी 182	इमामगंज 241	बांकेबाजार 161	बोधगया 200	बजीरगंज 257	गुरुआ 218	बेलागंज 275	कोंच 258	नगर 218	टेकरी 283

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

	क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
7	4611	गया	झुमरिया	गुराकू	फतेहपुर	मोहडा	डोभी	शेरधाटी	खिजरसार स 203	मोहनपुर 244	मानपुर 178	टनकुप्पा 146
			162	188	273	128	166	106			अतरी 107	आमस 127
						नीमचक बथानी 122		परैया 137				
8	1315 / 30. 12.2020 2678	नवादा	वारिसलीं ज 202	नवादा सदर 213	सिरदला 231	रोह 231	पकरीबरा वॉ 256	नहरहट 150	गोबिन्दपुर 129	अकबरपुर 301	काशीचक 106	मेसकौर 152
								हिसुआ 141	नारदीगंज 163		कौआकोल 209	रजौली 194
			202	213	231	231	256	291	292	301	315	346
9	2873	ओरंगाबाद	दाउदनगर 208	ओरंगाबाद 219	बारूण 225	मदनपुर 273	कुटुम्बा 283	ओबरा 289	गोह 298	रफीगंज 327	नवीनगर 354	हसपुरा 199
												देव 198
			208	219	225	273	283	289	298	327	354	397
10	1496 / 11. 12.2020 1231	जहानाबाद	कोको 88	हुलासगंज 118	मोदनगंज 141	घोषी 179	रतनी फरीदपुर 196	जहानाबाद 202	मखदुमपुर 307			

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

	क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
		1231	88	118	141	179	196	202	307			
	11	अरवल 482 / 16.12. 2020 881	सोनभद्र-बंधु गी सूर्यपुर 110	अरवल 144	कुर्था 145	कलेर 216	करपी 266					
		881	110	144	145	216	266					
सारण	12	सारण 2383 / 16. 12.2020 4630	माझी 344	गड़खा 357	मशरक 216	इसुआपुर 185	दिघवारा 138	रिविलगंज 112	लहलादपुर 115	छपरा सदर 307	अमनौर 276	परसा 188
					पानापुर 153	तरैया 186	सोनपुर 310	जलालपुर 202	बनियापुर 355	एकमा 271	मढ़ौरा 302	दरियापुर 339
								नगरा 153				मकेर 121
		4630	344	357	369	371	448	467	470	578	578	648
	13	सिवान 3976	सिवान सदर 231	हुसैनगंज 192	गुठनी 144	पचरुखी 241	बड़हिया 383	गोरेयाकोठी 306	रघुनाथपुर 232	भगवानपुर हाट 286	महाराजगंज 223	जीरादेई 232
				हसनपुर 171	मैरवा 114	आन्दर 138		बसंतपुर 117	सिसवन 203	लकड़ी नबीगंज 171	दरौदा 238	दरौली 235
					नौतन 119							

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण	
14	3976	231	363	377	379	383	423	435	457	461	467	
	गोपालगंज 1962 / 26. 12.2020 3240	विजयीपुर 201	भोरे 248	हथुआ 248	बरौली 293	कटेया 159	बैकुण्ठपुर 301	फुलवरिया 177	उचकागाँव 190	थावे 156	कुचायकोट 450	
						पंचदेवरी 137		सिध्वलिया 186	गोपालगंज 222	मांझा 272		
	3240	201	248	248	293	296	301	363	412	428	450	
15	वैशाली 3953	लालगंज 272	जन्दाहा 313	हाजीपुर 331	बिदुपुर 346	पटेढ़ी बेलसर 124	पातेपुर 434	महुआ 303	भगवानपुर 271	महनार 188	राघोपुर 285	
						वैशाली 240		चेहराकला 159	गोरौल 201	सहदेई बुजुर्ग 167	राजापाकर 199	
										देसरी 120		
		3953	272	313	331	346	364	434	462	472	475	484
16	मुजफ्फरपुर 9069 / 24. 12.2020 5255	मङ्गवन 198	सरैया 392	सकरा 369	पारू 476	गायघाट 329	कुढ़नी 524	ओराई 350	साहेबगंज 244	काँठी 305	मुशहरी 411	
						मुरौल 106		बन्दरा 167		कटरा 313	मोतीपुर 410	मीनापुर 378
		5255	198	392	475	476	496	524	663	654	683	694

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
17	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) 302 / 28.12. 2020 5750	मधुबन 191	तुरकौलिया 223	केसरिया 222	सुगौली 219	चकिया 222	छौड़ादानों 199	मोतिहारी 287	अरेराज 201	घौड़ासहन 211	रक्सौल 202
		फेनहारा 98	बंजरिया 192	ढाका 332	पकड़ीदयाल 135	कल्याणपुर 348	संग्रामपुर 201	कोटवा 211	पहाड़पुर 217	चिरैया 329	रामगढ़वा 253
		तेतरिया 122			पताही 215		मेहसी 188	पीपराकोठी 91	हरसिंहि 261	बनकटवा 147	आदापुर 233
		5750	411	415	554	569	570	588	589	679	687
18	पश्चिम चम्पारण 99 / 28.12. 2020 4212	योगापट्टी 255	बगहा-1 357	बगहा-2 362	नौतन 263	मझौलिया 377	ठकराहॉ 77	सिकटा 227	लौरिया 258	पिपरासी 60	चनपटिया 313
					बेतिया 100		भितहॉ 93	रामनगर 253	मैनाटॉड़ 226	मधुबनी 110	बैरिया 251
							गौनाहा 248			नरकटियाग 382	
		4212	255	357	362	363	377	418	480	484	552
19	सीतामढ़ी 2365 / 26. 12.2020 3904	बैरगनिया 113	बथनाहा 313	चोरौत 93		डुमरा 397	सोनवर्षा 290	परिहार 418	पुपरी 163	रुन्नी सैदपुर 454	परसौनी 103
		सुप्पी 149		सुरसण्ड 250	नानपुर 233		मेजरगंज 123		बाजपट्टी 268		बेलसण्ड 126

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

	क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
						बोखड़ा 160						रीगा 251
	3904	262	313	343	393	397	413	418	431	454	480	
	20	शिवहर 876 / 11.12. 2020 739	डुमरी कटसरी 112	शिवहर 131	पुरनहिया 116	पिपराही 147	तरियानी जि. प. नि. क्षेत्र सं० 6 233	तरियानी जि. प. नि. क्षेत्र सं० 7				
		739	112	131	116	147	233					
दरभंगा	21	दरभंगा 50 / 08.01. 2021 4390	बेनीपुर 236	जाले 297	कुशेश्वरस्था न 199	बहेड़ी 344	घनश्याम पुर 154	मनीगाढ़ी 312	दरभंगा 348	बहादुरपुर 333	बिरौल 364	सिंहवाड़ा 330
					कुशेश्वरस्था न पूर्वी		किरतपुर 96	तारडीह 165	हायाघाट 167	हनुमाननगर 204	गौड़ाबौरम 178	केवटी 360
		4390	236	297	323	344	429	477	515	537	542	690
			पण्डौल 385	फुलपरास 175	मधवापुर 179	झंझारपुर 240	लौकदी 253	लखनौर 230	राजनगर 321	बाबूबरहा 278	जयननगर 216	बिस्फी 406

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

	क्र0	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
22	मधुबनी 5517		घोघरडीहा 233	हरलाखी 274	अंधराठाड़ी 252	खुटौना 261	मधेपुर 335	रहिका 252	कलुआही 163	लदनियां 216	बेनीपट्टी 433	
									खजौली 191	बासोपट्टी 224		
	5517	385	408	453	492	514	565	573	632	656	839	
23	समस्तीपुर 3560 / 23. 12.2020 4939	समस्तीपुर 192	दलसिंहस राय 226	विभूतिपुर 427	शिवाजीनगर 248	वारिसन गर 247	हसनपुर 283	पटोरी 177	सरायरंजन 328	उजियारपुर 385	कल्याणपुर 400	
		ताजपुर 150	बिथान 180		सिंधिया 223	खानपुर 243		मोहिउद्दीन नगर 227	मोरवा 243	विद्यापतिन गर 198	पूसा 187	
							रोसड़ा 218	मोहनपुर 157				
	4939	342	406	427	471	490	501	561	571	583	587	
24	सुपौल 1101 / 11. 12.2020 2523	सरायगढ़ 161	प्रतापगंज 129	बसंतपुर 209	किसनपुर 218	पिपरा 239	राधोपुर 239	मरौना 180	त्रिवेणीगंज 323	छातापुर 331	सुपौल 393	
								निर्मली 101				
		2523	161	129	209	218	239	239	281	323	331	393

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

	क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
25	सहरसा 931 / 16.12. 2020 2003	बनमा ईटहरी 109	कहरा 155	सलखुआ 156	पतरघट 175	नवहट्टा 183	सत्तर कटैया	सौरबाजार 193	236	महेषी 259	सोनवर्षा 261	सिमरी बखितायारपुर 276
		2003	109	155	156	175	183	193	236	259	261	276
26	मधेपुरा 1529 / 14. 12.2020 2158	ग्वालपाड़ा 149	आलमनगर 165	उदाकिशुनगंज 167	चौसा 175	गम्हरिया 102	मुरलीगंज 224	मधेपुरा 240	बिहारीगंज 136	सिंहेश्वर 145	कुमारखंड 291	
							घैलाड़ 115			पुरैनी 121	शंकरपुर 128	
		2158	149	165	167	175	217	224	240	257	273	291
पूर्णिया	किशनगंज 951 / 12.12. 2020 1778	किशनगंज 150	टेढ़ागाछ 169	दिघलबैंक 238	बहादुरगंज 274	ठाकुरगंज 300	पोठिया 309	कोचाधमन 338				
		1778	150	169	238	274	300	309	338			
	पूर्णिया 1222 / 15. 12.2020 3481	बैसा 240	बी०कोठी 248	बायसी 262	धमदाहा 303	अमौर 312	कसबा 161	बनमनखी 355	के०नगर 243	रूपौली 254	पूर्णिया पूर्व 182	
							भवानीपुर 160			श्रीनगर 127	जलालगढ़ 127	डगरुआ 254
	3228	240	248	262	303	312	321	355	370	381	436	

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

	क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
29	कटिहार 846 / 25.12. 2020 3259	कुर्सला 59	कोढ़ा 318	बरारी 325	बलरामपुर 168	अमदाबा द 177	आजमनगर 386	मनसाही 97	कदवा 402	बारसोई 409		
		कटिहार 89			प्राणपुर 173	मनिहारी 204		फलका 197				
		हसनगंज 65						समेली 107				
		डंडखोरा 83										
	3259	296	318	325	341	381	386	401	402	409		
30	अररिया 08 / 06.01. 2021 3051	कुर्साकांटा 182	सिकटी 189	भरगामा 283	पलासी 290	जोकीहा ट 348	नरपतगंज 387	फारबिसगं ज 472	अररिया 459	रानीगंज 461		
		3051	182	189	283	290	348	387	452	459	461	
31	लखीसराय 1096 / 23. 12.2020 1068	पिपरिया 74	रामगढ़चौ क 111	बड़हिया 126	चानन 139	लखीसरा य 142	हलसी 142	सूर्यगढ़ा जि. जि.प.3, 4 प. 5, 6 158	सूर्यगढ़ा जि. प. 5, 6 176			
		1068	74	111	126	139	142	142	158	176		

मुंगेर

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
32	शेखपुरा 786 / 16.12 2020 654	घाटकुसुम्भा 40	शेखपुरसराय	चेवाड़ा 85	बरबीधा 118	अरियरी 149	शेखपुरा जि. प. निक्षेत्र <sup>सं०:-04</sup>				
		शेखपुरा जि.प.नि. क्षेत्र <sup>सं०:-05</sup>									
		654	40	64	85	118	149	198			
33	बेगूसराय 1300 / 22. 12.2020 3000	तेघड़ा 169	बरौनी 215	नावकोठी 132	बलिया 170	भगवानपुर 216	मटिहानी 205	बखरी 107	बछवाड़ा 246	बेगूसराय 353	चेरिया बरियारपुर 193
				खोदावंदपुर 114	डंडारी 99	गढ़पुरा 130	छौड़ाही 141	स० कमाल 242	मंसूरचक 104		बीरपुर 119
		3000	169	215	246	269	346	346	349	350	353

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
34	खगड़िया 1964	चौथम प्रखंड (जि0प्र0 9 एवं 10)183	खगड़ीया प्रखंड (जि0प्र0 4 एवं 5) 207	अलौली (जि0प्र0 1 एवं 2) 214	परबत्ता प्रखंड (जि0प्र0 17एवं 18 ) 217	खगड़ीया प्रखंड (जि0प्र0 6 एवं 7) 218	गोगरी प्रखंड (जि0प्र0 15एवं परबत्ता प्रखंड (जि0प्र0 6 एवं 7) 224	गोगरी प्रखंड (जि0प्र0 3 एवं मानसी प्रखंड (जि0प्र0 13 एवं 14) 229	अलौली (जि0प्र0 3 एवं मानसी प्रखंड (जि0प्र0 8) 229	बेलदौर प्रखंड (जि0प्र0 11 एवं 12)243	
35	मुंगेर 1731 / 23. 12.2020 1429	तारापुर 73	असरगंज 98	संग्रामपुर 139	जमालपुर 144	टेटियाबाबू बर 145	बरियारपुर 156	धरहरा 183	सदर मुंगेर 200	हवेली खड़गपुर 250	
36	जमुई 2046	सिकन्दरा 182	ई0अलीगं ज 182	जमुई 170	सोनो 261	लक्ष्मीपुर 154	चकाई 290	झाझा 292	खैरा 302		
				गिर्धौर 91		बरहट 122					
		2046	182	182	261	261	276	290	292	302	

**पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु चरणवार प्रखंड की विवरणी**

	क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	षष्ठम् चरण	सप्तम् चरण	अष्टम् चरण	नवम् चरण	दशम् चरण
भागलपुर 2446 / 21. 12.2020 3222	37	भागलपुर 2446 / 21. 12.2020 3222	नाथनगर 203	सन्हौला 236	सुलतानगंज 257	नारायणपुर 139	खरीक 172	रंगराचौक 122	सबौर 165	पीरपेंती 373	कहलगांव 414	जगदीशपुर 208
						बिहपुर 171	नवगाढ़िय 141	इस्माईलपुर 70	गोराडीह 180			शाहकुण्ड 246
			3222	203	236	257	310	313	317	345	373	414
38	बांका 2491	चान्दन 195	बौंसी 202	कटोरिया 205	बाँका 221	बेलहर 227	शंभूगंज 250	रजौन 259	अमरपुर 268	धोरैया 298	फुल्लीडुमर 168	
												बाराहाट 198
		2491	195	202	205	221	227	250	259	268	298	366
		114047	7810	9123	10171	11152	12031	12206	12983	13042	13106	12423





## दस चरण में दो अधिकतम मतदान केन्द्र संख्या

## अनुलग्नक -2

क्रमांक	जिला का नाम	मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु						प्रशिक्षण हेतु 5% X 6	FLC में खराब होने की संभावना 15% X 6	कुल (CU)	कुल (BU)	
		दो अधिकतम चरण में परने वाले कुल मतदान केन्द्रों की संख्या	रिजर्व 15% हेतु	कुल EVM रिजर्व सहित	जिला में आवश्यक BU और CU की संख्या							
A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	
37	जमुई	594	89	683	4099	+	224	=	4323	4099	178	535
38	बाँका	664	100	764	4582	+	250	=	4832	4582	199	598
	कुल	30252	4538	34790	208739	+	11404	=	220143	208739	9076	27227
											245041	256445















